न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–३, आजमगढ़

UPAZ010084692022

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–४३०५/२०२२</u>

१. सचिन उम्र लगभग २० वर्ष पुत्र राजू निवासी साकिन खानपुर फतेह, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

२. गुड्डू उम्र लगभग १९ वर्ष पुत्र दीपू निवासी साकिन महरूपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

३. विष्णु उम्र लगभग २० वर्ष पुत्र राजेन्द्र निवासी साकिन खानपुर फतेह, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

.....आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० सरकार .....विपक्षी

अपराध संख्या–३४०/२०२२
धारा–३२३, ३०८, ५०४, ५०६ भा०द०सं०
<u>थाना–अतरौलिया, जनपद आजमगढ़</u>

<u>दिनाँक–०९.११.२०२२</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र थाना स्थानीय अतरौलिया के मुकदमा अपराध संख्या–१४९/२०२० अन्तर्गत धारा–३२३, ३०८, ५०४ व ५०६ भा०द०सं० के अपराध में आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो सुनवाई हेतु आज नियत है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उठाये गये तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा कीर्ति प्रकाश मिश्र पुत्र उमाकान्त मिश्र निवासी लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा स्थानीय थाना पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनाँक ०५.१०.२०२२ को समय लगभग चार बजे उसके पेट्रोल पम्प पर सचिन पुत्र. राजू, गुड्डू पुत्र दीपू व विष्णु पुत्र राजेन्द्र आ कर पेट्रोल पम्प पर तेल भरने वाले नाजिलमैन अमलेश को तेल भराने की बात को लेकर गाली देते हुए लाठी डण्डा से बुरी तरीके से मारा पीटा जिससे नाजिलमैन बुरी तरह से घायल हो कर बेहोश हो गया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी दिये। वादी मुकदमा उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष हैं उन्हें रंजिशवश अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से राय मशविरा के बाद दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई यथोचित स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा पूर्व की रंजिश के कारण आवेदकगण को अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदकगण दिनाँक ०५.१०.२०२२ को समय लगभग चार बजे पेट्रोल पम्प पर तेल लेने गये थे। तेल भरवाने के लिए लाइन में लगे थे और अपने क्रम का इन्तेजार कर रहे थे लेकिन तेल भरने वाला नाजिलमैन आवेदकगण को तेल न देकर पीछे आने वाले लोगों को तेल देने लगा। जब आवेदकगण ने इसका विरोध किया तो नाजिलमैन गाली देते हुए कमरे से लाठी लेकर हमला कर दिया। वादी मुकदमा पेट्रोल पम्प मालिक व प्रभावशाली तथा राजनैतिक पकड़ वाला व्यक्ति है जो स्थानीय पुलिस व डाक्टर को अपने प्रभाव में लेकर फर्जी मुकदमा लिखवा दिया है। अभियोजन कहानी व चिकित्सीय साक्ष्य में घोर विरोधाभास है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियोजन कहानी झूठी एवं बनावटी है। अभियोजन कथानक का समर्थन प्रदान करने के लिए कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। धारा ३०८ भा०दं०सं० के अतिरिक्त अन्य सभी धारायें जमानतीय प्रकृति की हैं। न्यायालय द्वारा लगायी गयी हर शर्तों का निष्ठा व ईमानदारी से पालन करेंगे और विवेचना व विचारण में सहयोग करेंगे तथा मुकदमा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे। आवेदक/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए न्यायालय में कार्यरत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई आधार नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निराधार है, खारिज किया जाये।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनाँक ०५.१०.२०२२ को समय लगभग चार बजे वादी मुकदमा के पेट्रोल पम्प पर आवेदक/अभियुक्तगण आ कर पेट्रोल पम्प पर तेल भरने वाले नाजिलमैन अमलेश को तेल भराने की बात को लेकर गाली देते हुए लाठी डण्डा से बुरी तरीके से मारा पीटा जिससे नाजिलमैन घायल हो कर बेहोश हो गया। आघात आख्या में चोटहिल अमलेश के शरीर पर कुल ९ चोटें पाया जाना उल्लिखित की गयी है जिनमें एक फटी चोट ब्लीडिंग के साथ तथा तीन चोटें नीलूगे निशान व पाँच चोटें अब्रेजन की बतायी गयी हैं, जो शरीर के गले एवं सीने आदि भागों के पायी गयी हैं। उक्त चोटें कुन्द आलय पहुँचाया जाना बताया गया है। केस डायरी में

संकलित साक्ष्य से आवेदक/अभियुक्तगण की प्रथम दृष्टया संलिप्तता परिलक्षित हो रही है। अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए, मामले के गुणदोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सचिन, गुड्डू व विष्णु की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक ०९.११.२०२२

(ओम प्रकाश वर्मा–III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–३, आजमगढ़
J.O.Code U.P. 6142